न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 4/2018 (राजसमन्द आर्डर)

मांगीलाल पिता केरिंग जी गाडरी, निवासी मोही, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, कुंवारिया, तहसील व राजसमन्द (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध
निर्णय जिला कलेक्टर, राजसमन्द
दिनांक 16.07.2018 प्र॰सं॰ 28/2017

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री आर. एल. रावत अभिभाशक अपीलान्ट

2– श्री पैरोकार सरकार

———::———

निर्णय दिनांक

25–07–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उप तहसीलदार कुंवारिया के समक्ष पटवारी हल्का ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि विपक्षी मांगीलाल ने ग्राम मोही की आराजी नंबर 3188 रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा में 4 बीघा भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर काटों की बाड़ लगा रखी है, जिस पर उप तहसीलदार ने विपक्षी को नोटिस जारी कर उसे सुनवाई का अवसर दिया तथा अपने निर्णय दिनांक 15–11–2017 से विपक्षी को अतिकमी मानते हुए विपक्षी को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जे राज लेने का आदेश दिया।

उप तहसीलदार कुंवारिया के उक्त निर्णय दिनांक 15–11–2017 से रूष्ट होकर विपक्षी/अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील जिला कलक्टर राजसमन्द के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने प्रकरण संख्या 28/2017 निर्णय दिनांक 16–07–2018 से अपीलान्ट की

प्रथम अपील खारिज करते हुए उप तहसीलदार कुंवारिया के निर्णय दिनांक 15–11–2017 को यथावत रखा।

अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द के उक्त निर्णय दिनांक 16–07–2018 से रूष्ट होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील दिनांक 02–08–2018 को प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण का नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट में अपील मीमों व लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। अपीलान्ट का पुराना कब्जा होकर भूमि नियमन योग्य है, किन्तु दोनों अधिनस्थ न्यायालयों ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकर कर दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें तथा विवादित भूमि अपीलान्ट के नाम नियमन किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

वहीं पैरोकार सरकार ने दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि राजस्व रेकार्ड मं विवादित भूमि की किस्म रेतवाड़ी दर्ज है तथा पर्चा माका जो अपीलान्ट की उपस्थिति में तैयार किया गया है, उसके अनुसार व मिलान खसरे अनुसार भूमि की किस्म पूर्व में नदी थी। उपरोक्त भूमि नदी पेटे की भूमि होने से दोनों अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा जो निर्णय पारित किया है, उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर की अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द का निर्णय दिनांक 16–07–2018 एवं उपतहसीलदार कुंवारिया का निर्णय दिनांक 15–11–2017 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां लौटायी जावें। निर्णय आज दिनांक 25–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर